न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 11/24 वाद GCMS NO : 2024/00092
पूर्व प्रकरण संख्या : 16/2020

1. श्रीमती मोहनबाई बेवा भेरा जी उर्फ चेना जी मेघवाल, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. श्री धनराज पिता चेना जी मेघवाल, निवासी सीसारमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. श्री देवीलाल पिता चेना जी मेघवाल, निवासी सीसरमा, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता गोपीलाल जी ढोली, निवासी इटाली, तहसील मावली, उदयपुर

.....प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री सम्पतलाल बोहरा, श्री आलौक जैन अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सीसारमा के खाता संख्या 615 के आराजी संख्या 4819, 4820, 4821, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834 कुल किता 12 कुल रकबा 0.8300 हैक्टयर भूमि स्थित है इसके साथ ही खाता संख्या 330 की आराजी संख्या 4241, 4251, 4252, 4815 कुल किता 04 कुल रकबा 0.6500 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि सहखातेदारी की होकर इसके 2/3 [illegible] पर [illegible] का कब्जा होकर प्रार्थीगण की गेहूॅ की फसल खडी है तथा बंटवाड़े का केस [illegible] है। विपक्षी जबरदन प्रार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:21 IST
Reason: SelfAttested

कब्जेशुदा जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अगर विपक्षी द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थी की खड़ी फसल नष्ट कर दी गई तो प्रार्थना पत्र का उदेश्य ही समाप्त हो जायेगा। जिससे विपक्षी को पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से विपक्षीगण के जवाब अवसर बंद किए गए।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ऐसा कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता हो कि प्रार्थीगण को विपक्षी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण व अपूणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होता है। जिससे प्रार्थीगण, विपक्षी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता।

निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:37:21 IST
Reason: SelfAttested